<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012024-251666 CG-DL-E-31012024-251666

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70] No. 70] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2024/माघ 11, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024/MAGHA 11, 1945

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2024

फा. सं.एचक्यू-13073/1/2020-एयूटीएच.II(ई).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत∷ —

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1)इन विनियमों को आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में, विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,—
 - (क) खंड (ठ) के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—
 - '(ठ) ''ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा" का अभिप्राय एक प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधा से है—
 - (i) जिसमें अनुरोधकर्ता संस्था के जरिए आधार नंबर धारक की सहमित से सुरक्षित तरीके से प्रस्तुत बायोमेट्रिक सूचना और/या*वन-टाइम पिन (ओटीपी)* और आधार नंबर का मिलान सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा से किया जाता है, और प्राधिकरण अधिप्रमाणन संव्यवहार से संबंधित अन्य

612 GI/2024 (1)

तकनीकी ब्यौरों सहित ई-केवाईसी डेटा से युक्त डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित उत्तर भेजता है;

(ii) जिसमें पूर्व में प्रस्तुत किए गए किसी आधार नंबर, ऐसे आधार नंबर के लोप या निष्क्रियण या ऐसे निष्क्रिय किए गए आधार नंबर के पुन: सिक्रिय किए जाने पर, का तत्पश्चात् लोप या निष्क्रियण या पुनः सिक्रिय होना हुआ है इसकी स्थिति के संबंध में भेजा गया कोई भी पश्चात्वर्ती समुचित उत्तर सिम्मिलित है:

परंतु यह कि अनुरोधकर्ता संस्था ने ऐसी स्थिति के अद्यतीकरण सहित अधिप्रमाणन करने के लिए प्राधिकरण के साथ कोई समझौता ज्ञापन या करार किया है;';

- (ख) खंड (द) के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—
 - '(द) ं'हां/ना अधिप्रमाणन'' का अभिप्राय एक प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधा से है—
 - (i) जिसमें अनुरोधकर्ता संस्था के जरिए आधार नंबर धारक की सहमति से सुरक्षित तरीके से प्रस्तुत पहचान सूचना और आधार नंबर का मिलान सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा से किया जाता है, और प्राधिकरण अधिप्रमाणन संव्यवहार से संबंधित अन्य तकनीकी ब्यौरों सहित "हां" या "ना" से युक्त, परंतु पहचान सूचना से रहित, डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित उत्तर भेजता है; और
 - (ii) जिसमें पूर्व में प्रस्तुत किए गए किसी आधार नंबर, ऐसे आधार नंबर के लोप या निष्क्रियण या ऐसे निष्क्रिय किए गए आधार नंबर के पुन: सक्रिय किए जाने पर, का तत्पश्चात् लोप या निष्क्रियण या पुनः सक्रिय होना हुआ है इसकी स्थिति के संबंध में भेजा गया कोई भी पश्चात्वर्ती समुचित उत्तर सम्मिलित है:

परंतु यह कि अनुरोधकर्ता संस्था ने ऐसी स्थिति के अद्यतीकरण सहित अधिप्रमाणन करने के लिए प्राधिकरण के साथ कोई समझौता ज्ञापन या करार किया है।'।

- 3. मूल विनियमों में, विनियम 9 में,—
 - (क) संक्षिप्त शीर्षक के लिए, निम्नलिखित संक्षिप्त शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"अधिप्रमाणन करने के लिए प्रक्रिया"; और

- (ख) उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—
 - ''(3) अधिप्रमाणन अनुरोध के माध्यम के आधार पर, सीआईडीआर में उपलब्ध आधार नंबर की सूचना के विरुद्ध आगत प्राचलों (इनपुट पैरामीटर्स) से मिलान और सीआईडीआर द्वारा उसकी शुद्धता या शुद्धता में कमी के सत्यापन के पश्चात्, प्राधिकरण संबंधित तकनीकी ब्यौरों सहित डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित "हां" या ''ना'' उत्तर, या कुटकृत ई-केवाईसी डेटा सहित ई-केवाईसी उत्तर, जैसी भी स्थिति हो, भेजेगा।
 - (3क) जहां पूर्व में प्रस्तुत किए गए किसी आधार नंबर, ऐसे आधार नंबर के लोप या निष्क्रियण या ऐसे निष्क्रिय किए गए आधार नंबर के पुन: सिक्रिय किए जाने पर, का तत्पश्चात् लोप या निष्क्रियण या पुनः सिक्रिय होना हुआ है, के संबंध में अद्यतीकरण की स्थिति सिहत अधिप्रमाणन करने के लिए अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा प्राधिकरण के साथ कोई समझौता ज्ञापन या करार किया गया है, प्राधिकरण संबंधित तकनीकी ब्यौरों सिहत डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित पश्चात्वर्ती समुचित उत्तर भेजेगा।"।
- 4. मुल विनियमों में, विनियम 10 में,—
 - (क) उप-विनियम (3) में, ''असफल होने के कारणों, जैसे स्थगित/रद्द आधार या बायोमेट्रिक/आधार लॉकिंग'' शब्दों के लिए, 'असफल होने के कारणों, जैसे ''आधार रद्द'', ''आधार निष्क्रिय'', ''आधार लॉक है'', ''आधार विलोपित'', ''आधार स्थगित'' और ''बायोमेट्रिक्स लॉक हैं'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ख) उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत: :—
 - ''(4) उप-विनियम (3) में, अभिव्यक्ति—
 - (i) आधार नंबर के संबंध में, ''आधार रद्द'' या ''आधार विलोपित'' का अभिप्राय होगा कि ऐसे आधार नंबर का लोप कर दिया गया है:

- (ii) आधार नंबर के संबंध में, ''आधार निष्क्रिय" या ''स्थगित आधार" का अभिप्राय होगा कि ऐसे आधार नंबर को निष्क्रिय कर दिया गया है:
- (iii) आधार नंबर के संबंध में, ''आधार लॉक है'' का अभिप्राय होगा कि ऐसे आधार नंबर को विनियम 11क में यथा-निर्दिष्ट अनुसार लॉक कर दिया गया है; और
- (iv) आधार नंबर के संबंध में, ''बायोमेट्रिक्स लॉक हैं" का अभिप्राय होगा कि ऐसे आधार नंबर से संबंधित बायोमेट्रिक अभिलेख विनियम 11 में यथा-निर्दिष्ट अनुसार लॉक कर दिये गये हैं।''।

संजीव यादव, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./723/2023-24]

नोट: मूल विनियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में दिनांक 9 नवंबर, 2021 में अधिसूचना संख्या के-11020/240/2021/एयूटीएच/यूआईडीएआई (2021 की संख्या 2), दिनांक 8 नवंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात् अधिसूचना—

- (i) फा. सं. के-11020/240/2021/एयूटीएच./यूआईडीएआई (2022 की संख्या 01) दिनांक 4 फरवरी, 2022;
- (ii) फा. सं. एचक्यू-13011/2/2021/एयूटीएच-II (2023 की संख्या 01) दिनांक 24 फरवरी, 2023 (27 फरवरी, 2023 को प्रकाशित); और
- (iii) फा. सं. एचक्यू-13073/1/2020-एयूटीएच.II(ई) दिनांक 29 सितंबर, 2023 (3 अक्तूबर, 2023 को प्रकाशित),

द्वारा संशोधित किये गये थे।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2024

- **F. No. HQ-13073/1/2020-AUTH.II(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Amendment Regulations, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),—
 - (a) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:—
 - '(j) "e-KYC authentication facility" means a type of authentication facility—
 - (i) in which the biometric information and/or OTP and Aadhaar number securely submitted with the consent of the Aadhaar number holder through a requesting entity, is matched against the data available in the CIDR, and the Authority returns a digitally signed response containing e-KYC data along with other technical details related to the authentication transaction; and
 - (ii) includes any subsequent appropriate response returned by the Authority regarding the status as to whether any Aadhaar number previously submitted has been subsequently omitted or deactivated or re-activated in the event of any omission or deactivation of such Aadhaar number or re-activation of such a deactivated Aadhaar number:

Provided that the requesting entity has entered into a Memorandum of Understanding or agreement with the Authority for the performance of authentication with update of such status;';

- (b) for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—
 - '(p) "Yes/No authentication facility" means a type of authentication facility—
 - (i) in which the identity information and Aadhaar number securely submitted with the consent of the Aadhaar number holder through a requesting entity, is then matched against the data available in the CIDR, and the Authority responds with a digitally signed response containing

- "Yes" or "No", along with other technical details related to the authentication transaction, but no identity information; and
- (ii) includes any subsequent appropriate response returned by the Authority regarding the status as to whether any Aadhaar number previously submitted has been subsequently omitted or deactivated or re-activated in the event of any omission or deactivation of such Aadhaar number or re-activation of such a deactivated Aadhaar number:

Provided that the requesting entity has entered into a Memorandum of Understanding or agreement with the Authority for the performance of authentication with update of such status.'.

- 3. In the principal regulations, in regulation 9,—
 - (a) for the short title, the following short title shall be substituted, namely:—

"Process for performance of authentication"; and

- (b) for sub-regulation (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—
 - "(3) Based on the mode of authentication request, after the input parameters have been matched against the information of the Aadhaar number available in the CIDR and CIDR has verified the correctness or lack thereof, the Authority shall return a digitally signed Yes or No response, or a digitally signed e-KYC response with encrypted e-KYC data, as the case may be, along with related technical details.
 - (3A) Where the requesting entity has entered into a Memorandum of Understanding or agreement with the Authority for the performance of authentication with update of status regarding whether an Aadhaar number previously submitted has been subsequently omitted or deactivated or re-activated, in the event of such Aadhaar number being omitted or deactivated or such a deactivated Aadhaar number being reactivated, the Authority shall send a subsequent digitally signed appropriate response, along with related technical details."
- 4. In the principal regulations, in regulation 10,—
 - (a) in sub-regulation (3), for the words "failure such as Suspended/Cancelled Aadhaar or Biometric/Aadhaar Locking", the words 'failure, such as "Aadhaar cancelled", "Aadhaar deactivated", "Aadhaar locked", "Aadhaar omitted", "Aadhaar suspended" and "Biometrics locked" shall be substituted;
 - (b) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—
 - "(4) In sub-regulation (3), the expression—
 - (i) "Aadhaar cancelled" or "Aadhaar omitted", in relation to an Aadhaar number, shall mean that such Aadhaar number has been omitted;
 - (ii) "Aadhaar deactivated" or "Aadhaar suspended", in relation to an Aadhaar number, shall mean that such Aadhaar number has been deactivated;
 - (iii) "Aadhaar locked", in relation to an Aadhaar number, shall mean that such Aadhaar number has been locked as referred to in regulation 11A; and
 - (iv) "Biometrics locked", in relation to an Aadhaar number, shall mean that the biometric records related to such Aadhaar number have been locked as referred to in regulation 11.".

SANJEEV YADAV, Director

 $[ADVT.\hbox{-}III/4/Exty./723/2023-24]$

- **Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 9th November, 2021, *vide* Notification F. No. K-11020/ 240/ 2021/ Auth/UIDAI (No. 2 of 2021), dated the 8th November 2021, and were subsequently amended *vide* Notifications—
 - (i) F. No. K-11020/240/2021/Auth/UIDAI (No. 01 of 2022), dated the 4th February, 2022;
 - (ii) F. No. HQ-13011/2/2021-AUTH-II (No. 01 of 2023), dated the 24th February, 2023 (published on the 27th February, 2023); and
 - (iii) F. No. HQ-13073/1/2020-AUTH.II(E), dated the 29^{th} September, 2023 (published on the 3^{rd} October, 2023).